उत्तर भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी परिषद की 23-7-89 बैठक में पास किये प्रस्ताव:—

सर्व सम्मति से निश्चय किया कि देश की सभी राजनैतिक पार्टियों से मांग की जाये कि वह परिषद के निम्न प्रस्तावों को आगामी लोकसभा चुनाव के लिये जारी किये जाने वाले अपने घोषणा-पत्रों में शामिल किया जाये।

प्रस्ताव :—परिषद मांग करती है कि देश के संविधान में संशोधन किया जाये ताकि :—

(क) रोजगार के अधिकार को **मौलिक अधिकारों** में शामिल किया जाये।

(ख) केन्द्र और राज्य दोनों के मन्त्रियों द्वारा मन्त्री बनने के समय ली गई **शपथ भंग करने पर उन्हें** दण्डित करने की व्यवस्था की जाये।

(ग) न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को बरकरार रखने के लिये जरुरी है कि जजों को सेवानिवृत्त के पश्चात कोई सरकारी पद न दिया जाए।

(घ) प्रशासनिक सुधार समिति की सिफारिश अनुसार राज्यों और केन्द्र में, असैम्बली और लोक सभा के सदस्यों की गिनती के अनुपात से 10 प्रतिशत से अधिक मन्त्री न बनाये जाए।

श्री साधू राम चौधरी जी के सुझाव और श्री महावीर प्रसाद जी जैन के अनुमोदन के बाद सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि **सरकार से मांग की जाए :**—शडयूल कास्ट, शडयूल ट्राईब्स, आदिवासी, बैकवर्ड क्लास आदि के लिये जो आरक्षण का प्रावधान हैं। यदि इन आरक्षणों का लाभ उठाने वाले व्यक्ति **आयकर दाता** हो जाता है तब उसको आरक्षण वर्ग से बाहर निकाल कर साधारण वर्ग में शामिल कर दिया जाए और आरक्षण का लाभ उन्हीं वर्गों के कमजोर वर्गों को दिया जाए ताकि समुचित वर्ग आरक्षण का लाभ उठा सके।

श्री साधू राम चौधरी जी के सुझाव और श्री बाबू नन्द शर्मा जी के अनुमोदन के बाद सर्व सम्मति से पास हुआ कि **भारत सरकार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को जो मासिक पेंशन देती है उसे मूल्य सूचांक (प्राइसइन्डैक्स) के साथ जोड़ दिया जाये।**

खुशी राम लोक सेवक
जरनल सैक्रेट्री

downloaded from moolchandjain.org

राष्ट्रीय मोर्चे के चुनाव घोषणा पत्र के मसोदे पर श्री जैन 1-5-89 के सुझाव (मुख्य मंत्री के नाम पत्र)

आदरणीय चौ० देवी लाल जी,

मैंने राष्ट्रीय मोर्चा के चुनाव घोषणा पत्र के मसौदे को अध्ययन कर लिया है। विभिन्न विषयों पर मेरे विचार निम्न हैं :-

(क) मसौदे के पहले भाग में भिन्न भिन्न विषयों पर बिन्दु दिये हैं, और दूसरे भाग में उन बिन्दुओं को जोड़ कर एक प्रकार से चुनाव घोषणा पत्र का पूरा मसौदा बना दिया है। इस लिये मैंने पहले भाग में ही कुछ बातें जोड़ी हैं और उसी को सामने रखते हुए निम्न नोट बनायें हैं :—

भिन्न भिन्न विषयों पर कुछ कहने से पहले मैं यह कहना चाहूगा कि इस मसौदे में 3 मुख्य बातों पर कुछ नहीं कहा गया मेरी राय में यह तीनों बातें चुनाव घोषणा पत्र में आनी चाहिये। यह बातें इस प्रकार हैं: —

(1) हमारे देश में कई राज्य बहुत बड़े बड़े हैं। यू०पी० की आबादी लगभग 15 करोड हो गई है। बिहार की आबादी 8-9 करोड़ लगभग है। इतनी बड़ी आबादी के राज्यों को लोकतांत्रिक ढंग से अच्छी प्रकार से नहीं चलाया जा सकता। किसी भी राज्य की आबादी दो करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। छोटे राज्य का आर्थिक विकास बहुत जल्दी हो सकता है। हरियाणा और हिमाचल इसके उज्जवल उदाहरण हैं। अमरीका (यू०एस०ए) की आबादी लगभग 25 करोड़ हैं, लेकिन वहां 50 के करीब प्रान्त राज्य है। इसी प्रकार यू०एस०एस०आर की आबादी 25-26 करोड़ हैं और वहां पर भी 40 से ज्यादा राज्य हैं। फिर कोई वजह नहीं कि 80 करोड़ की आबादी के भारत में 40 राज्य क्यों नहीं बनाये जायें। चौ० चरण सिंह के जीवनकाल में लोकदल का जो चुनाव घोषणा पत्र जनता के सामने आया था, उसमें भी राज्यों को छोटे राज्य में बदलने का सुझाव दिया गया था। समाचार पत्रो में भी कई लेख इसके समर्थन में आये हैं। एक एक भाषाई झगड़े भी बहुत कम हो जायेंगे। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। इसी प्रकार पंजाब के दो हिस्से किये जाये। जैसा कि पहले पैप्सू अलग था। तो पंजाब की समस्या के समाधान में काफी सहायता मिलेगी।

(2) शपथ उल्लंघन कई प्रकार के सरकारी कर्मचारी, पंच, विधायक, सदस्य पार्लियामैंट की शपथ लेनी पड़ती है। शपथ किन शब्दों में हो यह संविधान में लिखा है लेकिन संविधान में यह नहीं लिखा कि शपथ का कोई उल्लंघन करे तो उसके विरुद्ध कारवाई होगी। संविधान में यह तो लिखा है कि निर्वाचित होने के बाद यदि कोई विधायक या सदस्य पार्लियामैंट दिवालियां या पागल सिद्ध हो जाये तो वह डिसक्वालिफाई हो जायेगा परन्तु सविधान में कहीं यह प्रावधान नहीं हैं कि कोई मन्त्री अपनी शपथ का उल्लघन करे तो उसे भी डिस्कवालिफाई समझा जाये। मेरी राय में संविधान का सशोधन करके जिन धाराओं में दिवालियां या पागल होने पर डिस्कवाललिफाई किये जाने का प्रावधान है वहीं शपथ का उल्लघन करना भी जोड़ देना चाहिये, ताकि उल्लंघन होने पर वह भी डिस्क्वालिफाई समझा जाये। मंत्रीगण निस्वार्थ भाव और सदबुद्धि से अपना काम करें यह किसी भी लोकतांत्रिक प्रशासन के लिये बहुत जरुरी है पत्र में जनता को उपरोक्त विश्वास दिलाने के लिये यह बहुत जरुरी है।

(3) आरक्षण नीति में संशोधन: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिये असैम्बली और सर्विसिज़ में आरक्षण है चुनाव में मत नीति के कारण आरक्षण की मियाद बढ़ती रहेगी ऐसा प्रधान मंत्री के ताजा ब्यान से स्पष्ट है कि विरोधी पक्ष के नेता ने भी इसका खंडन नहीं किया। स्पष्ट है कि सभी वीटो की नीति में उलझे हुए हैं। लेकिन कम से कम यह तो होना चाहिये और हो सकता है कि आरक्षण नीति का लाभ उठाने वालों में से उन परिवारों को निकाल दिया जाये जो इनकम टैक्स अदा करते हो। ऐसे परिवारों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया तो फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के गरीब लोगों को आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा। पिछले 40 वर्ष से इन जातियों के लोग जो आरक्षण का लाभ उठाते हुए बड़ी नौकरियों या बड़े रोजगारों पर पहुँच गये हैं आरक्षण का भी उन्हीं को औलाद लाभ उठाती रहेगी और अनुसूचित और अनुसूचित जन जातियों पर ऐसे ही लोग छाये रहेंगे। इसलिये न्याय हित में यह आवश्यक है कि इन जातियों में जो लोग इनकम टैक्स देने योग्य आमदनी कमा रहें हैं उन्हें आरक्षण की नीति से निकाल दिया जाये। मेरी इस सम्बन्ध में जितने भी हरिजन कार्यकर्ताओं से बात हुई है वे इस सुझाव को स्वीकार करते हैं। परन्तु अभी उनमें अपनी जातियों में पैदा हुए अमीर लोगों के विरुद्ध प्रस्ताव पास करने का साहस नहीं हुआ है। राजनतिक पार्टियां इसे अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करेगी तो साधारण हरिजन भी इसका गर्मजोशी स्वागत करेगा।

(4) आरक्षण नीति में इस संशोधन का एक लाभ यही होगा कि बिना आरक्षण के वर्गों में जो अनुसूचित और अनुसूचित जन जातियों के प्रति हार्ट बर्निंग पैदा हो रही है वह काफी हद तक कम हो जायेगी इसलिये मेरा सुझाव है कि चुनाव घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा होनी चाहिये।

(ख) संलग्न मसौदे के पैरा 3 में पचायती राज संस्थाओं के बारे में चर्चा है।

(1) मैं इन सभी का समर्थन करता हूं।

(2) संलग्न मसौदे के पैराग्राफ 4 और 6 में राजनैतिक पार्टियां कैसे कार्य करे इस बारे में चर्चा है। इन पैराग्रापस में जो सुझाव दिये गये हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। आजकल इतनी पार्टियां भारत में काम कर रहीं हैं उन पर कोई कानून लागू नहीं होता। मेरी पक्की राय है कि राजनैतिक पार्टियों के बारे में कानून बनाना चाहिये जैसे 60 वर्ष पहले शिवरोमणी गुरुद्वारा एक्ट में एस०जी०पी० सी० के चुनाव कराने का पूरा तरीका दिया है। लोगों को गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के चुनाव में राय आदि देने का अधिकार है उनकी सूची सरकारी तौर पर तैयार की जाती है उन पर क्लेम या आपत्ति आदि उठाई जाती है। सदस्यों का चुनाव भी सरकारी कर्मचारी कराते हैं। इसी प्रकार राजनैतिक समितियों के सदस्यों की देखभाल होनी चाहिये और उनके उच्चतरीन पार्टियों के चुनाव होने चाहिये पश्चिमी जर्मनी में भी इस प्रकार का कानून लागू बताया जाता है। ऐसे कानून के तहत राजनैतिक पार्टियों के आमदनी और कार्य का भी आडिट हो सकता है और जो कि होना चाहिये।

(3) चुनाव घोषणा पत्र के पैरागाफ 2 में सत्ता के विकेन्द्रीकरण के जो सुझाव दिये गये हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। सरकारियां कमीशन की सिफारिशात बहुत क्रांतिकारी नहीं हैं। उनको तो स्वीकार करना ही चाहिये। पैरा 2 के अन्त में मैंने सब पैरा 18 कनसाइनमैंट टैक्स के बारे में जोड़ा है कि सैंटर में राष्ट्रीय मोर्चा के सत्ता में आने पर कनसाईमैंट टैक्स बारे कानून बनायेगा जिससे राज्यों की सालाना आमदनी कुल मिलाकर 2000 से 4000 करोड़ तक बढ़ जायेगी जैसा कि सरकारी कमीशन में स्वीकार किया है। सत्ता के विकेन्द्रीकरण होने पर ही भारत सही मायनों में फैडरल ढांचे की हकूमत बनेगी।

(4) मसौदे के पैराग्रफ 8 में काम के अधिकार की चर्चा की है यह समर्थन योग्य है और संविधान के मौलिक अधिकारों में राईट-टू-वर्क भी शामिल किया जाना जरुरी है।

(5) आर्थिक विषमताओं को दूर करना अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध और अन्य आर्थिक नीतियों के बारे 7.7ए. 7बी 7सी, और 7डी पैराज में जिन सुझावओं के बारे में चर्चा की है वे समर्थन योग्य हैं।

(6) पैरा 9 में शिक्षा सम्बन्धी जो सुझाव दिये गये हैं वे सर्म्थन योग्य है मैंने उनमें 9-10 और 11 तीन नये सुझाव जोड़े हैं। नौवा सुझाव नैतिक शिक्षा के बारे में है। दसवी परीक्षा में नकल को रोकने के बारे में है और ग्याहरवी लाईब्रेरी आन्दोलन को मजबूत करने के बारे हैं। अपने देश के कितने ही प्रदेशों में अभी तक पुस्तकालयो के बारे में कोई कानून नही हैं बहुत कम अच्छे पुस्तकालय हैं अच्छे पुस्तकालयों का होना हर दृष्टि से बहुत ही जरुरी हैं। पुस्तकालयों के लिये बजट मे भी बहुत कम रुपया रखा जाता है। दक्षिण भारत में तो लगभग सभी प्रदेश सरकारों ने लाईब्रेरी के लिये कानून बनाये हैं। ऐसे कानून सभी प्रदेशों में बनाने चाहिये।

(7) पैराग्राफ 11 में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के बारे में दिये गये सुझाव सर्म्थन योग्य हैं। इनमें एक और वाक्य जोड़ा है। कि महिलाओं कि शिक्षा के बारे बहुत जोर दिया जाना चाहिए कोई भी महिला मैट्रिक से कम नही होनी चाहिये। मैट्रिक तथा उससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं को परिवार नियोजन का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं वह स्वयं ही इसको अपना लेती हैं। अत: जो धन राशि परिवार नियोजन के लिए रखी जाती है उसका 80 प्रतिशत से भी अधिक लड़कियों को अलग शिक्षा संस्थाओं के निर्माण करने मे खर्च करना चाहिये।

(8) पैराग्राफ 14 Minorities के बारे में हैं। दिये गए सुझाव समर्थन योग्य हैं। इनमें मैंने एक ओर छोटा सा मगर महत्वपूर्ण सुझाव जोड़ा है जो मुस्लिम भाई पाकिस्तान नहीं गए, 40 वर्ष पहले उनमें से कितनों की सम्पति के मालिक भिन्न-भिन्न प्रदेशों के कस्टोडियन बन गए हैं। उनमें से कितनों ने सम्पति वापिसी के आदेश संग्राम अधिकारियों से प्राप्त किए परन्तु उच्च न्यायालयों ने यह निर्णय दिया कि यदि वही सम्पति उपलब्ध नही हो तो बदले में और सम्पति नही दी जा सकती। इन निर्णयों के कारण बहुत से मुस्लिम भाईयों को उनकी सम्पति के बदले में कुछ नहीं मिला। क्योंकि असल सम्पति तो किसी और को अलाट हो गई है। कानूनम अलाही से भी सम्पति वापिस नही ली जा सकती और बदले में भी कोई सम्पति मिले तो ऐसे मुस्लिम भाईयों के साथ अन्याय बराबर चलता रहेगा इसलिए सम्बधिन्त कानून में आवश्यक संशोधन जरुरी है।

शेष पैराग्राफ में जो सुझाव दिये गये हैं वे सभी समर्थन योग्य हैं। उनमें और कोई बात जोड़ना मुझे नहीं सूझा है।

(मूलचन्द जैन)
उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड,
हरियाणा।

Country's Serious Problems

In April 1988 when, Shri Jain was Deputy Chairman Planning Board he sent for comments a 2 pages note, regarding grim situation of the country, including Shri Atal Behari Bajpayee M.P., Shri Ashok Sen, the country along with a covering letter, to about 25 top intellectuals Shri Jagan Nath Kaushnl (former union law Minister's) Shri Madhu Dandvate Shri P. Upendra & Shri Sharad Yadav, (Then M P's & now Central Ministers). Shri J D. Sethi (now member Planning Commission), Shri Kuldeep Nayyar (noted Journalist & now High Commissioner in England). Shri Rajinder Sachar (former C J). Shri Tarakunde (former Judge High Court Shri N.A. Palkiwala, Shri Ram Jethmalani, Hira Lal Sibal & Anand Swroop. Shri Shushil Kumar Mohanta, Shri G.K. Bansal (Senior Advocates) Shri Giri Lal Jain (former Chief Editor, Times of India) Shri Ram Narain Singh (then M.P) & Shri G L.Bansal Ex.M.P Three of them. namely, Shri G. L. Bansal, Sh. P. Upendra & Shri Ashok Sen acknowledged the letter & did not offer any worth while Comments. Some did not even acknowledge the letter. Out of the Comments received, those of Shri A.B. Bajpayee, Shri N.A. Palkiwala, Shri Rajinder Sachar and Shri Jagan Nath Kaushal are given here after Shri Jain's covering letter and his Note.

Editor

Shri Jain's towarding Letter & Note

Mool Chand Jain

Deputy Chairman,
State Planning Board, Haryana,
Chandigarh.

My dear.....

4
12 April, 1988

Every patriotlc Indian is deeply worried over the grim situation that exists today in the country and which is deteriorating day-by-day. I have prepared the enclosed note mentioning the points in the order of their priorities according to my humble judgement. I shall feel obliged, if you kindly go through this note and send your comments upon it as early as possible, esp. on items III & IV.

The view expressed in the note are my personl views.

Encl. : My note

Yours Sincerely,
Sd/-

(Mool Chand Jain)

downloaded from moolchand.org